न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 21/2019

श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्रीराम जाति स्वामी निवासी ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 18/02/2013 ग्राम ललाना तस्दीक द्वारा तहसीद कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 24.2.20

नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 18/02/2013 वाके ग्राम ललाना तस्दीक द्वारा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के विरूद्व जरिये वकील अपील पेश की है जिससे व्यथित होकर अपील में वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये हैं :–

1. यह है कि हाल आराजी ख.नं. 43/0.44, 56/0.71, 81/0.41, 85/1.31, 111/0.28, 113/1.07, 114/1.124 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 है0 वाके मौजा ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में से अपीलान्ट ने 46 एयर भूमि तत्कालीन खातेदारान् किशन सिंह लालूसिंह पप्पूसिंह मदनसिंह पुत्रान् प्रहलादसिंह व धर्मेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह देशराज सिंह पुत्र करणसिंह प्रेम कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान से जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 27/9/2010 को खरीद की थी तथा खरीद के रोज से अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा भूमि पर बतौर मालिक खातेदार काश्तकार काबिज काश्तकार करती चली आ रही है। भूमि खरीद के बाद विक्रय–पत्र 27/9/2010 की प्रति पटवारी हल्का को दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 18/02/2013 को 28.61 है0 भूमि का ही नामान्तरकरण खोल दिया जबकि अपीलान्ट ने 46 एयर भूमिखरीद की थी जिस पर अपीलान्ट आज भी काबिज काश्त है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 383 के ग्राम ललाना शुरू से ही गलत एवं गैर कानूनी है। तहसीलदार ने विक्रय पत्र के अनुसार उक्त नामा. नहीं खोला अर्थात रकबा कम करके उक्त नामा. दर्ज किया है जो शुरू से ही गलत एवं गैर कानूनी है जो जेर अपील निरस्तनीय है। उक्त नामा.सं. 383 दिनांक 18/02/2013 के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी। गत सप्ताह अपीलान्ट किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु जमाबंदी की नकल निकलवायी तब उक्त नामा. बाबत जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट ने नामा. की नकल प्राप्त की और अपीलान्ट अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील माननीय न्यायालय में पेश कर दी अपील पेश करने में देरी माफी के लिए अलग से दफा–5 में मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा.सं. 383 दिनांक 18/02/2013 ग्राम ललाना द्वारा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

बाबत आराजी ख.नं. 43/0.44, 56/0.71, 81/0.41, 85/1.31, 111/0.28, 113/1.07, 114/1.124 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 है0 वाके मौजा ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट कोउसकी खरीदशुदा भूमि 46 एयर का नामा. तस्दीक फरमाने की कृपा करें।

2. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। बाद तामील होने पर सम्मन नोटिस संलग्न पत्रावली किया गया।

3. बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 43/0.44, 56/0.71, 81/0.41, 85/1.31, 111/0.28, 113/1.07, 114/1.124 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 है0 वाके मौजा ललाना तहसील कोटपूतली में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी भूमि में 46 एयर भूमि जरिये विक्रय–पत्र 27/9/2010 के द्वारा भूमि क्रय की गयी है। भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद करने के पश्चात् से ही मौके पर कब्जे काश्त चली आ रही है। विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 383 वाके ग्राम ललाना दिनांक 18/02/2013 को अपीलान्ट के नाम 28.61 एयर भूमि का ही खोल दिया गया, जबकि अपीलान्ट ने 46 एयर भूमि जरिये विक्रय पत्र से खरीद की थी जिस पर आज भी अपीलान्ट काबिज काश्त है। इस प्रकार खोला गया नामा.सं. 383 वाके ग्राम ललाना शुरू से ही गलत एवं गैर कानूनी है जो जैर अपील निरस्तनीय है।

4. यह है कि तहसीलदार कोटपूतली ने अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि 46 एयर का नामा. विक्रय पत्र के अनुसार नहीं खोला है अर्थात रकबा कम करके उक्त नामा. खोला गया है जो गैर कानूनी एवं शुरू से ही गलत है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण निरस्तनीय है।

5. यह है कि अपीलान्ट जरिये विक्रय पत्र से 46 एयर भूमि ग्राम ललाना की खरीद की है, जिस पर भूमि खरीद के रोज से ही आज भी काबिज काश्त चली आ रही है। फिर भी तहसीलदार कोटपूतली ने अपने मनमाने ढंग से अपीलाधीन आदेश व नामा. किया है जो अपास्तनीय है।

6. यह है कि अपीलान्ट को नामा.सं. 383 दिनांक 18/02/2013 के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी अब अपीलान्ट गत सप्ताह किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उक्त नामा.सं. 383 दिनांक 18/02/2013 वाके ग्राम ललाना बाबत जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट द्वारा नामा. की नकल प्राप्त कर अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील माननीय न्यायालय के यहां पेश कर दी है। अपील पेश करने में हुयी देरी माफी के लिए अलग से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश है।

7. यह है कि अपील श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में निहित है जो निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश कर निवेदन हे कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 383 स्वीकृत दिनांक 18/02/2013 वाके ग्राम ललाना द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राज. बाबत आराजी खसरा नम्बर 43/0.44, 56/0.71, 81/0.41, 85/1.31, 111/0.28, 113/1.07, 114/1.124 कुल किता 7 रकबा 5.46 है0 वाके मौजा ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को उसकी खरीदशुदा भूमि 46 एयर का नामान्तरकरण तस्दीक करने की कृपा करें।

8. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु जरिये

सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील सम्मन नोटिस प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।

9. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया है कि हाल आरी ख.नं.43/0.44, 56/0.71, 81/0.41, 85/1.31, 111/0.28, 113/1.07, 114/1.124 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 है. वाके ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली में स्थित है। अपीलान्ट ने किशनसिंह लालूसिंह पप्पूसिंह मदनसिंह पुत्रान् प्रहलादसिंह व धर्मेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह देशराज सिंह पुत्र करणसिंह समस्त जाति राजपूत से मुताबिक जमाबंदी उनके हिस्से की भूमि में से 46 एयर भूमि जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 27/9/2010 को खरीद की गयी है। खरीदशुदा भूमि की रजिस्ट्री नकल पटवारी हल्का को दिये जाने के उपरान्त नामा.सं. 383 वाके ग्राम ललाना दिनांक 18/02/2013 को 28.61 है0 भूमि का नामान्तरकरण खोला जाकर तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात् में 46 एयर की भूमि खरीद की गयी है जिस पर अपीलान्ट भूमि खरीद के समय से ही मौके पर उक्त खरीदी गयी 46 एयर पर काबिज है अर्थात खरीदशुदा भूमि 46 का रकबा कम करके केवल 28.61 है0 भूमि का ही नामा. खोला जाकर स्वीकार किया गया है जो शुरू से ही गलत एवं गैर कानूनी है। उक्त नामा.सं. 383 वाके मौजा ललाना तहसील कोटपूतली की जानकारी अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त की गयी तब हुयी। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के हक में विक्रय–पत्र दिनांक 27/9/2010 को हुआ है। उसका अवलोकन कर ही खरीदशुदा भूमि 46 एयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर ही उक्त नामा. खोला जाना चाहिए था जो बिना राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन एवं बिना विक्रय पत्र के अवलोकन किये ही उक्त नामा. खोला गया है जो शुरू से ही गलत एवं गैर कानूनी है। अतः अपीलाधीन नामा.सं. 383 दिनांक 18/02/2013 वाके ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा जरिये विक्रय पत्र से खरीद की गयी 46 एयर भूमि अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें तथा अपीलान्ट की अपील मंजूर फरमायी जावें।

10. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि मुताबिक विक्रय पत्र 27/9/2010 के द्वारा अपीलान्ट ने 46 एयर भूमि क्रय की है। पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक विक्रय पत्र अपीलान्ट का नाम नामा.सं. 383 वाके ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली का दिनांक 28/01/2013 को दर्ज किया है जिस पर भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट होकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 18/02/2013 को स्वीकार हुआ है यदि मुताबिक विक्रय पत्र उक्त नामा. में क्रय की गयी भूमि का सही रूप से अंकन नहीं हुआ है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

11. उभय पक्ष बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात् एवं साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि उक्त नामा.सं. 383 वाके ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज. दिनांक 28/01/2013 को मुताबिक विक्रय पत्र 27/9/2010 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 18/02/2013 को स्वीकार किया जाना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है किहाल आराजी ख.नं. नम्बर 43/0.44, 56/0.71, 81/0.41, 85/1.31, 111/0.28, 113/1.07, 114/1.124 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 है. वाके मौजा ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के मुताबिक जमाबंदी तत्कालीन खातेदारी किशनसिंह लालूसिंह पप्पूसिंह मदनसिंह पुत्रान् प्रहलादसिंह व धर्मेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह देशराज सिंह पुत्र करणसिंह प्रेमकंवर पत्नि

प्रहलादसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा उक्त आराजीयात् की भूमि में से 46 एयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलान्ट के नाम विक्रय की है। विक्रय पत्र दिनांक 27/9/2010 के रोज से ही अपीलान्ट मौके पर काबिज काश्त है। मुताबिक विक्रय पत्र 27/9/2010 में वर्णित 46 एयर भूमि अपीलान्ट ने खरीद की है जिसका नामा.सं. 383 पटवारी हल्का दर्ज करते समय भूमि क्रय किया हुआ रकबा 46 एयर भूमि का दर्ज ना होकर 28.61 है0 भूमि का ही रकबा अपीलान्ट के नाम दर्ज होकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 18/02/2013 को वाके ग्राम ललाना का स्वीकार किया है, जबकि तहसीलदार कोटपूतली को मुताबिक विक्रय पत्र से विक्रय किया गया रकबा 46 एयर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज होना चाहिए था जो गलत एवं गैर कानूनी तरिके उक्त नामान्तरकरण दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। इसलिए उक्त नामा.सं. 383 वाके ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्वीकार दिनांक 18/02/2013 को निरस्त किया जावे तथा अपील मंजूर की जावें। चूँकि मुताबिक विक्रय-पत्र 27/9/2010 के आधार पर उक्त नामा.सं. 383 दर्ज होकर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 18/02/2013 को स्वीकार किया है। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार मुताबिक विक्रय पत्र में वर्णित रकबा 46 एयर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज ना होकर रकबा कम दर्ज होना जाहिर किया है, जबकि मुताबिक विक्रय-पत्र 18/02/2013 के आधार पर अवलोकन कर सही तरिके से नामा. दर्ज करना चाहिए था। इसलिए उक्त नामा. अपास्त किया जाना न्यायोचित है। इसलिए अपील आंशिक स्वीकार कि जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः उपराक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम ललाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के नामा.सं. 338 दिनांक 18/02/2013 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि ग्राम ललाना का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं अपीलान्ट के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र दिनांक 27/9/2010 को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन एवं परिक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार को तहरीर के साथ भिजवायी जावें।

13. यह निर्णय आज दिनांक 24.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)